

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

प्रार्थना पत्र संख्या:- /17

भरपाई बनाम रतीराम

01.12.2017

प्रार्थी/वादी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई, सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना प्रार्थी के हक में प्रतीत होती है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 02.01.2018 तक इस अमर से जारी की जाती है कि वो विवादित आराजी हाल ख0नं0 586/0.0400 है0 वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान के किसी भी जुज पर किसी भी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण कार्य अप्रार्थीगण सं0 1 ल0 4 नही करे, ना ही प्रार्थीगण के सामलाती हिरसो के कब्जा काशत मे मजाहमत मदाखलत पैदा करे, ना जब्रन बेदखल करे, ना कब्जा करे, ना रास्ता कायम करे,। मौका की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर पेश करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 02.01.2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

मिलान किया गया

का

सुना

